

## ALL JUDICIAL EXAMS

Part 07

# Evidence Act, 1872

साक्ष्य अधिनियम

Doctrine of Resgestae संख्यबह्मार का सिद्धांत

#Judiciary

By Poonam Sha



## WELCOME UMINIEED CLASSES

Like Video and Subscribe our channel







Section 5: Evidence may be given of facts in issue and relevant facts-

Evidence may be given

- in any suit or proceeding of
- the existence or non-existence of every fact in issue and
- of such other facts as are hereinafter declared to be relevant,
- and of no others.

Explanation: This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to Civil Procedure.

धारा 5: विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा –

- किसी वाद या कार्यवाही में
- हर विवाद्यक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का
- और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन् पश्चात् स्संगत
  घोषित किया गया है,

साक्ष्य दिया जा सकेगा,

• और किन्हीं अन्यों का नहीं।

स्पष्टीकरण - यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनायेगी, जिसे सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध द्वारा वह साबित करने से निर्हकित कर दिया गया है।


#### Illustrations हुष्टान्त

(a) A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death.

ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मार कर उसकी हत्या कारित करने के लिये क का विचारण किया जाता है।

At A's trial the following facts are in issue :-क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य (तनकीह तलब) हैं-

- A's beating B with the club;
  क का ख को लाठी से मारना
- A's causing B's death by such beating क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना;
- A's intention to cause B's death.
  ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय।



#### Illustrations हष्टान्त

(b) A suitor does not bring with him, and have in readiness for production at the first hearing of the case, a bond on which he relies.

This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings, otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure.

एक वादकर्ता अपने साथ वह बन्धपत्र (दस्तावेज), जिस पर वह निर्भर करता (भरोसा) है, मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता।

यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बन्धपत्र को पेश कर सके या उसकी अन्तर्वस्तु को साबित कर सके।





- the Law of Evidence.
- As per this section only evidence of fact in issue and of relevant fact may be given.
- The main purpose of this section is to limit the scope of evidence.
- According to Kaningham "the emphasis of the section is on last words not on others. Relevancy is the touchstone of admissibility".
- that in what manner the fact to be produced would be relevant.

- Section 5 of the Indian Evidence Act is a foundation of 🔛 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 साक्ष्य विधि की आधारशिला है।
  - इस धारा के अनुसार केवल विवादयक एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है।
  - 🕨 इस धारा का मुख्य उद्देश्य साक्ष्यों के क्षेत्र को सीमित करना है।
    - कनिंघम महोदय के अनुसार- इस धारा का बल अन्त के शब्दों में है (किन्ही अन्यों का नहीं) "सुसंगति ग्राह्यता की परख अथवा कसौटी है।"
- According to section 136 a judge may ask question as to > न्यायाधीश धारा 136 के अनुसार पुँछ सकता है कि पेश किया जाने वाला तथ्य कैसे सुसंगत होगा?

Section 6: Relevancy of facts forming part of same transaction:

Facts which, though not in issue,

are so connected with a fact in issue as to form part of the same transaction,

are relevant,

whether they occurred

at the same time and place

or

at different times and places.

धारा 6: एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति-

जोत्थ्य विवाद्य न होते हुए भी

किसी विवाद्यक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं,

वे तथ्य सुसंगत हैं,

चाहे वे उसी समय और स्थान पर

या


विभिन्न समयों और स्थानों

पर घटित हुए हों










#### Illustrations हष्टान्त

(a)A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the by-standers at the beating, or so shortly before or after it as to form part of the transaction, is a relevant fact.

(क) ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल (कुछ समय पूर्व या पश्चात् कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह स्संगत तथ्य है।



A's intention

#### Illustrations हष्टान्त

(b) A is accused of waging war against the Government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant, as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them.


(ख) क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर, जिसमें सम्पत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत-सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित (शरीक) न रहा हो।



#### Illustrations हष्टान्त

(c) A sues B for a libel contained in a letter forming part of a correspondence. Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose, and forming part of the correspondence in which it is contained, are relevant facts though they do not contain the libel itself.


(ग) क एक पत्र में, जो एक पत्र-व्यवहार का भाग है, अन्तर्विष्ट अपमान-लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय से अपमान-लेख उद्भूत हुआ है, उससे सम्बन्ध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियाँ उस पत्र-व्यवहार का भाग हैं, जिनमें वह अन्तर्विष्ट हैं, वे सुसंग्त तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान- लेख स्वयं अन्तर्विष्ट न हो।



#### Illustrations हष्टान्त

(d) The question is, whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact.

(घ) प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक माल क को परिदत्त किया गया था। वह माल, अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर एक परिदान (हवालगी) सुसंगत तथ्य है।







#### **Doctrine of Resgestae:**

Sec. 6

Section 6 is based on the principle of English law which is known as res-gestae.

Word 'res-gestae' gives rise to the uncertainties. It is a Latin word which means the things said and done in the course of a transaction.

#### संव्यवहार के भाग (Doctrine of Res Gestae) का सिद्धान्त

यह धारा आँग्ल विधि के उस सिद्धान्त पर आधारित है जिसे रेस जेस्टे का सिद्धान्त कहते हैं। शब्द 'रेस जेस्टे' अनिश्चितताओं को जन्म देता है। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है "ऐसे कथन या कार्य जो किसी संव्यवहार के साथ हुए हैं"।

AN Hearsay evidence (2137/17 4184)

#### In Ratan v. Queen, (1971), 3 WLR 930,

The girl on receiving bullet injury, demanded police help on the telephone and gave her address and the call suddenly ended. Thereafter the police came to the given address within five minutes and found a dead body of a woman. In view of these facts and circumstances all these facts namely calling to police on phone, reaching of police within a few minutes at the given address and finding of dead body by the police, were held to be the part of the same transaction.

#### In R. v. Foster, (1834) 6 C & C 325


witness saw a truck running away but not the incident. The Court admitted the hearsay evidence as being the part of the same transaction.

रटन बनाम क्वीन (1971) 3 वीक ली एल॰ आर॰ 930 के प्रकरण में गोली लगने पर लड़की ने टेलीफोन आपरेटर से पुलिस सहायता की मांग की, अपना पता बताया और अचानक काल ठप हो गई। पुलिस पांच मिनट के अन्दर उस स्थान पर पहुँच गई और एक स्त्री का शव पाया। पुलिस के कुछ ही समय में पहुँचने, शव प्राप्त करने, टेलीफोन करने, पुलिस मांगने के तथ्य एक ही संव्यवहार के भाग माने गए।

आर॰ बनाम फोस्टर (1834) 6 सी॰ एण्ड सी॰ 325 के मामले में गवाह ने भागता हुआ ट्रक देखा था घटना नहीं लेकिन न्यायालय ने एक ही संव्यवहार का भाग होने के कारण ऐसे अनुश्रुत साक्ष्य को स्वीकार किया।









## हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकमनायें

रणनीति अब सभी सरकारी नौकरी के लिए

उद्योत हिन्दी स्थाएस्प

संपूर्ण हिन्दी व्याकरण की तैयारी एक ही Subscription से करें

Live Batch

Offer प्रथम 50 students के लिए

Validity 1 Year

मात्र 1.25/- प्रित



